

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11062022-236485 CG-DL-W-11062022-236485

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] No. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2022 (ज्येष्ठ 21, 1944) NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2022 (JYAISTHA 21, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग Ⅲ—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं

सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2022

सं. ए-12/11/23/डी.एस.-भ.वि./2019-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद), भर्ती विनियम, 2008 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद) भर्ती विनियम, 2010, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दंत्य संवर्ग पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य संवर्ग पद), भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

- 2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-
  - (क) भारत का नागरिक; अथवा

1—109 GI/2022

- (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो, जो इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- शारीरिक स्वस्थता.- (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो, जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. जिन पदों के लिए सीधी भर्ती निर्धारित है, उनके संबंध में चयन बोर्ड का संघटन, चयन प्रक्रिया आदि :

(1) चयन बोर्ड :

(i) चयन बोर्ड में शामिल होंगे :-

- (क) सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार के दर्ज़े का अंशकालिक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से सचिव या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) जिस विषय या विशेषीकृत क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है, उससे जुड़े दो चिकित्सा विशेषज्ञ जो महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल से, अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे।
- (ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली में विभागीय प्रतिनिधि होंगे और अन्य राज्यों के मामले में, संबंधित राज्यों के अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक विभागीय प्रतिनिधि होंगे। यदि किन्हीं कारणों से ये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो महानिदेशक किसी अन्य अधिकारी को विभागीय प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सकते हैं।
  - (ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यत: चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी। हालांकि, उनकी अवधि को अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
  - (iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ उन दरों पर यात्रा भत्तों, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नियत किए जाएंगे।

(2) चयन की प्रक्रिया एवं रीति :-

(क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती, जहां भी लागू हो, सामान्यत: अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली लिखित परीक्षा के बाद पात्र और सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पर आधारित होगी।

यदि अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक हो जाता है, तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद महानिदेशक द्वारा उसे अपनाया जाएगा। तथापि, यदि विज्ञापन में एक बार भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित हो जाती है, तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- (ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या एवं निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
- (ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति मात्र अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाने या विज्ञापित पद पर किसी भी दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- (घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु आवेदनों के प्रक्रमण से संबंधित सभी कार्यों को महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (ङ) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहयोग महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

## 7. निरर्हता—ऐसा कोई व्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

- 8. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 9. व्यावृत्ति—इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. दंत्य शल्यचिकित्सक	55*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। टिप्पणी: दंत्य शल्यचिकित्सक के पद का प्रचालन दंत्य शल्यचिकित्सक, कनिष्ठ स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य) (एन.एफ.एस.जी.) तथा दंत्य शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के ग्रेड में कुल संयुक्त संस्वीकृत संख्या 55 से किया जाएगा।	समूह 'क', गैर- अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (रु.56,100- 1,77,500) और केंद्रीय सरकार के सदृश पदों की भांति यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	लागू नहीं	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी 1 : केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय। टिप्पणी 2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

### अनुसूची

मौगी मर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित्र शेथिक तवा अन्य अहंताएं। सेंदित यात्र और सेंदे वालों के लिए मिहित यात्र और सेंदे हों। भीरेकि अईताएं पत्रो-लति प्रांत अथवा प्रतिनिद्धि अंस्वादा ह तैया अथवा प्रतिनिद्धि अंदिता । (0) स्व चिकिस्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के मान-1 में गामिल मान्यताप्राप्त देव शल्यचिकिस्ता स्वातक छिंगे अहंता । अथवा दर्य चिकिस्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के मान्य-1 में वामने 1 के तहा दिवांक 01.11.1972 तक अथवा दर्य चिकिस्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की मात्र यहा होने स्वर सहत्य होने अथवा चर्य चिकिस्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की मात्र यहा दा मात्राय ते यादर के प्रतिदिध के कारण रित्तियों के तियुक्ति पर बाहर होने अथवा प्रयत्त चिक्तसक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की मात्र यहा दा मात्राय तायर के को मात्वता प्राप्त देव्य अथवा संय चिकिस्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की मात्र हवा के तहा का सात के ते नियुक्ति आधार पर क्षा वार्य के को मात्वता प्राप्त देव्य अर्थवा पर देवा के कि की पायत के वार्य के प्रतिन्दति के कारण रित्तियों के तियुक्ति आधार पर क्षा वार्य गांत्र के नियुक्ति आधार पर क्षा वार्य गांत्र के त्राहि के प्रास्ति क्षां पर्य द्वा निया मार्य के को मात्वता प्राप्त देव्य क्षेत्र पर वार्य वा विनाग में त्र वर्वा के त्राप्त राय के के के जा गारत का नागरिक है त्य ती के हंता जात हरा त्यांत्र पर क्षेत्र के प्राप्त भार्य का किसी राज्य के देव्य पिएय या अधिकरण में पत्र वार्य कार्य के विनेय त्या राय के के वेत्र ता अधि त्र वर्य त्वर्य के क्षे देव्य क्ष्य होते के पात्र क्र वर्य के के उमी या के के त्य हा त्य के के उमी या कि के क्षेत्र कार त्य के के देव ता कर क्षेत्र के प्राप्त के किसे ता त्य का स्वात्त के क्षेत्र के वर्य तिय के तान्य त्य के के उती ता किसे त्य के के उनी ता के के अत्य ता के के क्रे राय त्य के कि ता कि ता के कार का त्य के कि तिया के के ता त्य के के के उती के ता कि ता के कार कर के ता के के ता के ता के कार का का ता के के ता के के का ता के कार के कार के कि कर्य ता का कर का का ता के के कि ता का का का होता ते ति की अन्यति के क्रम्य हो कि				-
<ul> <li>लागू नहीं</li> <li>रो वर्ष</li> <li>सीनेवार्य अहंता :</li> <li>(i) रंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग-! में शामिल मान्यताप्राप्त दंत्य शव्यचिकित्सा स्तातक डिग्री अहंता।</li> <li>ख्यवा</li> <li>दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिवार्य त्राप्त के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिवार्य वा क्रिय तदय अहंता।</li> <li>खपवा अप्य कियी गयम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिवार्य वा क्रिय त्राय अहंता।</li> <li>खपवा अप्य कियी गयम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिवार्य वा क्रिय ताय कहत भारत से बाहर के प्राधिकरण या संत्या द्वारा भारतीय नागरिक को मान्यता प्राप्त दंत्य अर्हता परंतु तभी जब बह दिनांक 13.08.2009 तेक प्रदत्त का को दोतांक 13.08.2009 ते प्रभावी छातचीन परिक्षा विनियम, 2009 के अनुसार छानवीन परिक्षा विनियम, 2009 के अनुसार छानड हैं तो नियुक्ति प्राप्त वर्ता को देतांक 13.08.2009 ते प्रभावी छानवीन परिक्षा विनियम, वाधार, पर (ii) पारत में किसी राज्य के दंदय परिष्य वा अधिकरण में पूर्वा के और उत्तीर्य के साकर्ती इंटर्नशिप को पूरा करता:- जित अभ्यवियों के साकरी इंटर्नशिप को पूर के उत्तर्ग व क्या के हो तो नियुक्ति प्रे प्रयं उन्हे के तिव राहिए, और खारकी के रात्रेय प्रतिक की अवद्य के दीव राहते थीकिक अर्हता और अन्य पाठत / वियाम में देव वेत्र के सिक्षा भावे के देव राहते दी या राज्य के साकती हं के पुर्व के देव राहते याति वित्र के आव के दार ता वर्य में ते अधिक नहीं होगी। प्रतिनियक्त का स्र ते या किसी अत्य पाठत / वियाम अं देव वस्र के से लिम भावित्व को 56 वर्ग से आधिक ताती के बाधि ता रिक्रा के सन्य या देव कि की सी वाया आवेदन की प्राप्ति के जीका बाधी का तिर्या के साकती से खुन्य होनी के जायेका के स्र ये देव वस्त के सिंक्ता प्रे</li> </ul>		होने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में	अवधि, यदि	द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
<ul> <li>अनिवार्य अर्हता :</li> <li>(i) रंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग-! में शामिल मान्यताप्राप्त दंत्य शल्यचिकित्सा स्नातक छिंग्री अर्हतता।</li> <li>(ii) रंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अथवा</li> <li>अंथवा</li> <li>अंपवा संद विकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिमास मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हता।</li> <li>अथवा</li> <li>अपवा आदित्यम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिमास मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हता।</li> <li>अथवा</li> <li>अपवा आदित्यम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!। के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिमास मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हता।</li> <li>अथवा</li> <li>अपवा आदित्यम, 1948 (1948 का 16) की अनुमूची के भाग-!॥ के तहत दिनांक 13.08.2009 तक प्रदत्व अर्हता परंतु तभी अव बह दिनांक 13.08.2009 तक प्रदत्व भहते गरंतु तभी अव बह दिनांक 13.08.2009 तक प्रदत्व वीरेशी अर्हता प्राप्त में को 30.8.2009 ने प्रभावी छात्वाचीन परिक्षा विवियम, 2009 के अनुसार छानवीन परिक्षा विवियम, 2009 के अनुसार छानवीन परिक्षा वितियम, 2009 के अनुसार छानवीं इंटर्नशिप प्राणीक हुआ है और उत्तीर्ण हुआ है. (iii) पारत में किसी राज्य के त्रांत देर्ट्य भिष्य वितियम, 2009 के अनुसार छानहीं ही देर्द्य कि पाया वित्तिय स. 2009 के अनुसार छानहीं ही देर्दाशिप को पूरा करता:- किन अभ्यर्थियों के सानती इंटर्नशिप को पूरा करता:- किन अभ्यर्थियों के प्रतिय रेक्षिक के पूर्व उन्हें संवित्त थैशिक अर्हता और अन्तुयद्वा पाठन / विभाग में इंस निद्युक्ति के दिव प्रतिवर्य विक्रात त्रा त्याज्य करता रा तत्रावं से युद्धि क्रि भावती हूं होगी। प्रतिवियक्ति के त्या तेष वर्य अर्वित्र ते प्रयत्त गी के ब्रात्य होतिवर्य तेष्र अप्रतित्र की अत्रात्य के दिवर प्रतियत्त कि का अत्र प्रत्व ते तिय्र ये वेष्र वन के लिय होत्य ते तत्य ये ये विष्र के सिक्त भी अवधि सित्रिय, ये विष्ठ नही कि प्र त्यांक की प्रायत्त के प्रात्त कि क्रात्त के तिय प्रतिक्र कि आर्य के तिक यो के करतुत्त विर्व के सहत भा विक्र के विर वर्य या के त्यात्त वित्व ते कि</li></ul>	(7)	(8)	(9)	(10)
	अनिवार्य अर्हता : (i) दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के भाग-I में शामिल मान्यताप्राप्त दंत्य शल्यचिकित्सा स्नातक डिग्री अर्हता। अथवा दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-II के तहत दिनांक 01.11.1972 तक अभिप्राप्त मान्यताप्राप्त दंत्य अर्हता। अथवा दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-III के तहत भारत से बाहर के प्राधिकरण या संस्था द्वारा भारतीय नागरिक को मान्यता प्राप्त दंत्य अर्हता परंतु तभी जब वह दिनांक 13.08.2009 तक प्रदत्त की गई हो। अथवा विदेशी अर्हता प्राप्त कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो दिनांक 13.08.2009 से प्रभावी छानबीन परीक्षा विनियम, 2009 के अनुसार छानबीन परीक्षण परीक्षा में शामिल हुआ है और उत्तीर्ण हुआ है; और (ii) भारत में किसी राज्य के दंत्य परिषद या अधिकरण में पंजीकृत होना चाहिए; और (iii) सी.आर.आई. (अनिवार्य क्रमावर्ती इंटर्नशिप) को पूरा करना :- जिन अभ्यर्थियों ने अनिवार्य क्रमावर्ती इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वे भी चयन के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं बशर्ते, यदि वे चयनित हो जाते हैं तो नियुक्ति से पूर्व उन्हें अनिवार्य इंटर्नशिप को संतोषजनक रूप से पूरा करना होगा। टिप्पणी 1 : भिन्न प्रकार से सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं, तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में			सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पदधारियों के एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के कारण रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा : (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में या उसके समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव। (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित पद में अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा निगम द्वारा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं

\_

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे :- 1. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; 2. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; 3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ स्टाफ	55*(2021)	समूह 'क',	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-	चयन	लागू नहीं
शल्यचिकित्सक (दंत्य)	*कार्यभार के आधार पर भिन्नता के	गैर-अनुसचिवीय	11		
	अध्यधीन।		(रु.67,700-		
	टिप्पणी: दंत्य शल्यचिकित्सक के पद		2,08,700) और		
	का प्रचालन दंत्य शल्यचिकित्सक,		केंद्रीय सरकार में सदृश		
	कनिष्ठ स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य),		पदों के लिए यथा		
	स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ		स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी		
	शल्यचिकित्सक (दंत्य)		भत्ता।		
	(एन.एफ.एस.जी.) तथा दंत्य				
	शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के ग्रेड				
	में कुल संयुक्त संस्वीकृत संख्या 55 से				
	किया जाएगा।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	रिक्तियों पर विचार किए बिना स्वस्थाने आधार पर पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
दंत्य शल्यचिकित्सक से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में (रु.56,100-	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति	लागू
1,77,500) में चार* वर्ष की नियमित सेवा।	समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में	नहीं।
टिप्पणी 1 : कनिष्ठ स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद	सम्मिलित होंगे:-	
के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण	(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी	
संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।	राज्य बीमा निगम	
जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण	—अध्यक्ष;	
करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन	(2) उप चिकित्सा आयुक्त,	
व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित	—सदस्य;	
प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा।	(3) अपर आयुक्त (चिकित्सा	
टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों	प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा	
पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा	प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा	
बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक	निगम	
अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले	—सदस्य।	

ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी	
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	
*टिप्पणी 3: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से	
ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ शल्यचिकित्सक	55*(2021)	समूह 'क',	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू
(दंत्य)	*कार्यभार के आधार पर भिन्नता के	गैर-अनुसचिवीय	लेवल-12		नहीं
	अध्यधीन।		(रु.78,800-		
	टिप्पणी : दंत्य शल्यचिकित्सक के पद का		2,09,200 रुपये)		
	प्रचालन दंत्य शल्यचिकित्सक, कनिष्ठ		और केंद्रीय सरकार		
	स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ		में सदृश पदों के		
	शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ		लिए यथा स्वीकार्य		
	शल्यचिकित्सक (दंत्य)		प्रैक्टिसबंदी भत्ता।		
	(एन.एफ.एस.जी.) तथा दंत्य				
	शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के ग्रेड में				
	कुल संयुक्त संस्वीकृत संख्या 55 से किया				
	जाएगा।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	रिक्तियों पर विचार किए बिना स्वस्थाने आधार पर  पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
कनिष्ठ स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति	लागू
(रु.67,700-2,08,700) में पाँच* वर्ष की नियमित सेवा।	समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में	नहीं।
टिप्पणी 1 : स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के	सम्मिलित होंगे:-	
कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण	(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी	
संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।	राज्य बीमा निगम	
जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण	—अध्यक्ष;	
करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन	(2) उप चिकित्सा आयुक्त,	
व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित	—सदस्य;	
प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा।	(3) अपर आयुक्त (चिकित्सा	
टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों	प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा	
पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा	प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा	
बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक	निगम	
अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले	सदस्य।	
ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अलग उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी		
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		
*टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से		
ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ शल्यचिकित्सक	55*(2021)	समूह 'क',	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	लागू
(दंत्य)(एन.एफ.एस.जी.)	*कार्यभार के आधार पर भिन्नता के	गैर-अनुसचिवीय	लेवल-13		नहीं
	अध्यधीन।		(रु.1,23,100-		
	टिप्पणी : दंत्य शल्यचिकित्सक के पद का		2,15,900) और		
	प्रचालन दंत्य शल्यचिकित्सक, कनिष्ठ		केंद्रीय सरकार में		

\_

स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ	सदृश पदों के लिए	
शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ	यथा स्वीकार्य	
शल्यचिकित्सा में	प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	
(दंत्य)(एन.एफ.एस.जी.) तथा दंत्य		
शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के ग्रेड में		
कुल संयुक्त संस्वीकृत संख्या 55 से किया		
जाएगा।		

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	रिक्तियों पर विचार किए बिना स्वस्थाने आधार पर  पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में (रु.78,800-2,09,200) में चार* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य)(एन.एफ.एस.जी.) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होना नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बर्शतें अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बर्शतें अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे:- (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य; (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन), वर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. दंत्य शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता	(2) 55*(2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। टिप्पणी : दंत्य शल्यचिकित्सक के पद का प्रचालन दंत्य शल्यचिकित्सक के पद का प्रचालन दंत्य शल्यचिकित्सक के पद का शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य), स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य) (एन.एफ.एस.जी.) तथा दंत्य शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के ग्रेड में कुल संयुक्त संस्वीकृत संख्या 55 से किया जाएगा।	्ः समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय	रेग्र वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (रु.1,44,200- 2,18,200) और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में सदृश पदों के लिए यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	रिक्तियों पर विचार किए बिना चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
स्टाफ शल्यचिकित्सक (दंत्य)(एन.एफ.एस.जी.) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में (रु.1,23,100-2,15,900) में सात* वर्षों की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : दंत्य शल्यचिकित्सा में परामर्शदाता के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होना नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे:- (1) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —अध्यक्ष; (2) अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य; (3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य	<u>(13)</u> लागू नहीं
अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। *टिप्पणी 3 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा अध्ययन प्रयोजन से इत्तर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	बीमा निगम —सदस्य।	

मुखमीत सिंह भाटिया महानिदेशक

### दिनांक 2 जून 2022

सं. ए-12/11/3/आरआर-प्लास्टर/2020-चि.-VI.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और धारम 17 की उप-धारा (2) का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे प्लास्टर सहायक और प्लास्टर तकनीशियन पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में प्लास्टर सहायक और प्लास्टर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निग्रम (प्लास्टर सहायक और प्लास्टर तकनीशियन), भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चुन्हिए :-
  - (क) भारत का नागरिक; अथवा
  - (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ सुंख्यन अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भनी की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची केकॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

### New Delhi, the 30th May, 2022

No. A-12/11/23/D.S.-RR/2019-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Dental Cadre Post), Recruitment Regulations, 2008 and कर्मचारी राज्य बीमा निगम) दंत्य संवर्ग पद (भर्ती विनियम, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the Dental Cadre Posts in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Dental Cadre Posts), Recruitment Regulations, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality. A candidate for appointment must be: ---
  - (a) a citizen of India; or
  - (b) he or she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free form any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer or employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Composition of Selection Board, procedure of Selection, etc., in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:
  - (1) Selection Board:
    - - (a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
      - (b) Two Medical experts from the discipline or specialised filed pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman, Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
      - (c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the Departmental representative in New Delhi, and in case of other States, the Additional Commissioner or Regional Director of the respective States will be departmental representative. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the Departmental representative.
    - (ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

- (iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to traveling allowances, sitting fees etc. at much rates as may be fixed by the Director General from time to time keeping in view the rates prescribed by the Government.
- (2) Procedure and manner of Selection: ----
  - (a) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made at All India level on the basis of a written examination followed by an interview of eligible and successful candidates. In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.
  - (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
  - (c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
  - (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
  - (e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- 7. Disqualification. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 8. Power to relax. Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 9. Savings. Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay matrix	Whether selection post	Age-limit for direct recruits
				or non- selection pos.	
				selection pos.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Dental Surgeon	55* (2021) *Subject to variation dependent on workload. Note: The post of Dental Surgeon is to be	Group 'A' Non- Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100– 1,77,500)	Not applicable	Not exceeding thirty five years. Note 1: Relaxableupto five years for employees of the Employees' State Insurance
	Dental Surgeon is to be		Plus non		Corporation and Government

#### SCHEDULE

operated in the grade of	practicing	servants in accordance with
Dental Surgeon, Junior	allowance as	the instructions or orders
Staff Surgeon (Dental),	admissible to	issued by the Central
Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon	analogous	Government from time to
(Dental)(NFSG) and	posts in the	time.
Consultant in Dental	Central	Note 2: The crucial date for
Surgery with the total	Government.	determining the age-limit
combined sanctioned		shall be the closing date for
strength of 55.		receipt of applications from
		candidates in India (and not
		the closing date prescribed
		for those in Assam,
		Meghalaya, Arunachal
		Pradesh, Mizoram, Manipur,
		Nagaland, Tripura, Sikkim,
		Lahaul and Spiti district and
		Pangi Sub Division of
		Chamba district of Himachal
		Pradesh, Union Territories of
		Ladakh, Andaman and
		Nicobar Islands and
		Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
Essential qualification: (i) A recognised Bachelor of Dental Surgery degree qualification included in part-I of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A recognised Dental qualification obtained upto 01.11.1972 under Part-II of the schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR A recognised Dental qualification granted by authority or institution outside India only when granted to a citizen of India upto 13.08.2009 under Part-III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948). OR Any person who is citizen of India possessing foreign qualification and has appeared and passed the Screening Test Examination as per Screening Test Regulation 2009 with effect from 13.08.2009; and (ii) Should be registered with any State Dental Council or Tribunal in India; and	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled by the appointing authority on transfer on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union Territories: (a)(i) holding analogous post on regular basis, in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualification and experience

<ul> <li>(iii) Completion of CRI (compulsory rotating internship):- candidates who may not have completed CRI are also eligible to appear for selection provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.</li> <li>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies</li> </ul>	prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Government or Union Territories shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application by the Corporation).
likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation – Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Staff Surgeon (Dental)	55* (2021) *Subject to variation dependent on workload. Note: The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental) (NFSG) and Consultant in Dental Surgery with the total combined sanctioned strength of 55.	Group' A' Non-Ministerial	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700–2,08,700) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on in-situ basis without linkage to vacancies

(11)	(12)	(13)
By promotion from Dental Surgeon with four* years regular Service in the Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the Pay Matrix. Note 1: For promotion to the post of Junior Staff Surgeon (Dental), the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Surgeon (Dental)	55* (2021) *Subject to variation dependent on workload. Note The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental)(NFSG) and Consultant in Dental Surgery with the total combined sanctioned strength of 55.	Group' A' Non- Ministerial	Level-12 in the pay matrix. (Rs. 78,800 – 2,09,200) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on in-situ basis without linkage to vacancies

(11)	(12)	(13)
By promotion from Junior Staff Surgeon (Dental) with five* years regular Service in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the Pay Matrix.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for	

Note 1: For promotion to the post of Staff Surgeon (Dental), the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

\*Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.

considering Promotion) consisting of:	
U	
1.Medical Commissioner,	
Employees' State Insurance	
Corporation	
-Chairman;	
2. Deputy Medical	
Commissioner, Employees'	
State Insurance Corporation.	
–Member;	
3. Additional Commissioner	
(Medical Administration) or	
Director (Medical	
Administration), Employees'	
State Insurance Corporation	
– Member.	
– Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Surgeon (Dental) (NFSG)	55* (2021) *Subject to variation dependent on workload. Note: The post of Dental Surgeon is to be operated in the grade of Dental Surgeon, Junior Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental), Staff Surgeon (Dental) (NFSG) and Consultant in Dental Surgery with the total combined sanctioned strength of 55.	Group' A' Non- Ministerial	Level-13 in the pay matrix (Rs. 1,23,100 – 2,15,900) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on in-situ basis without linkage to vacancies

(11)	(12)	(13)
By promotion from Staff Surgeon (Dental) with four* years regular service in the Level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200). Note 1: For promotion to the post of Staff Surgeon (Dental)(NFSG), the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation — Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. — Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or	Not applicable.

Promotion Committee.	Director (M	edical
Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	State Insurance Corporatio – Me	oyees' on ember.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Consultant in Dental Surgery		Group' A' Non- Ministerial	Level-14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200 – 2,18,200) plus non practicing allowance as admissible to analogous posts in the Central Government.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on in-situ basis without linkage to vacancies.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Staff Surgeon (Dental)(NFSG) with seven* years regular service in Level-13 in the pay matrix (Rs. 1,23,100-2,15,900). Note 1: For promotion to the post of Consultant in Dental Surgery, the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Ministry of Labour & Employment, Government of India – Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour & Employment, Government of India – Member; 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation – Member.	Not applicable.

\*Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.

### MUKHMEET SINGH BHATIA Director General

### The 2nd June 2022

No. A-12/11/3/RR-Plaster/2020-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with classe (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the posts of Plaster Assistant and Plaster Technician, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Plaster Assistant and Plaster Technician in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Plaster Assistant and Plaster Technician), Recruitment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Nationality. A candidate for appointment must be: -
  - (a) a Citizen of India; or
  - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulation.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (11) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer or employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities the examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification. No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and with prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.